सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

डी. साई बाबा
निदेशक
D. Sai Baba
Director
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

फा.सं.सी-23/2011-एमपीलैड्स

Dated 03.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः वर्षा-जल संचयन प्रणाली की संस्थापना ।

महोदय,

मंत्रालय को संसद सदस्यों से एमपीलैड्स के अंतर्गत वर्षा-जल संचयन प्रणालियों की अनुमति देने का सुझाव प्राप्त हुआ है ।

2. एमपीलैड्स मुख्य रूप से स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अभिप्रेत है । व्यक्तिगत लाभों/परिसंपत्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है । एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत वर्षा-जल संचयन प्रणालियों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है । दिशानिर्देशों के अनुबंध IV ई में, जिसके अंतर्गत निदर्शी कार्यों के क्षेत्र-वार नमूने का उल्लेख किया गया है, 'जन भू-जल रिचार्जिंग सुविधाएं' 'सिंचाई सुविधाओं' में शामिल हैं; यह सिंचाई के लिए भू-जल में वृद्धि करने संबंधी सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमों से संबंधित है । इसके अलावा, वर्षा-जल संचयन उद्यान-डेमो परियोजनाएं 'शहरी विकास से संबंधित कार्यों' में शामिल की गई हैं । सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा-जल संचयन प्रणालियों की संस्थापना करना दिशानिर्देशों में शामिल नहीं है ।

3. सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों पर (जल-संग्रह तथा भू-जल रिचार्जिंग दोनों के लिए) वर्षा-जल संचयन प्रणालियों की अनुमति देने के प्रयोजनार्थ एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में पैरा 3.43 को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो इस प्रकार है:

> "3.43 **वर्षा-जल संचयन प्रणालियों की संस्थापना:** सरकारी भवनों तथा केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, सामुदायिक भवनों, जल-निकायों, इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा-जल संचयन प्रणालियों (जल संग्रह तथा भू-जल रिचार्जिंग दोनों के लिए) की संस्थापना करना एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमत्य होगा ।"

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।